

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास- डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -47/2021
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2021/65

अपीलाण्टस्	बनाम	रेस्पोजेण्टस्
1. बेणीगोपाल पुत्र पुखराज जाति महाजन 2. सुरेशचंद पुत्र पुखराज जाति महाजन निवासीगण रियांबडी, तहसील रियांबडी, जिला नागौर		1. तहसीलदार रियांबडी, तहसील रियांबडी, जिला नागौर 2. हल्का पटवारी, रियांबडी, तहसील रियांबडी, जिला नागौर

उपस्थिति:-

- अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री श्यामकुमार व्यास।
- रेस्पोजेण्टस् की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक 30-9-2021

अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार रियांबडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2020 सरकार बनाम बेणीगोपाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2021 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्टस् की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स ने विस्तृत रूप से जवाब प्रस्तुत किया था किन्तु उस जवाब को नजरअंदाज करते हुए तथा अपीलाण्ट्स को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बगैर, विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाये बिना, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलाण्ट्स व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में बिना सुनवाई किए एकपक्षीय रूप आदेश जैर अपील पारित कर दिया। इस कारण आदेश की जानकारी को वक्त आदेश नहीं हो सकी एवं पिछले 2 माह से लॉकडाउन भी था जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ अपीलाण्ट्स ने तहसील जाकर दिनांक 01.06.2021 को जानकारी की तब अपीलाण्ट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई, तब अपीलाण्ट्स ने नकल हेतु आवेदन किया जो नकल दिनांक 03.06.2021 को प्राप्त होने पर अपीलाण्ट्स प्रथम बार आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलाण्ट्स को आदेश जैर अपील की जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से अपील अंदर मयाद पेश करने एवं न्यायहित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलाण्ट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में किये गये कथन पर विचार किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रियांबडी ने रियांबडी के खसरा संख्या 824 रकबा 0.04 हैक्टर, किस्म भूमि गैर मुमकिन सड़क पर संवत् 2077 में बेणीगोपाल, सुरेशचंद पिसरान पुखराज, जाति महाजन निवासी रियांबडी द्वारा दुकान व दीवार



कलक्टर, नागौर

बनाकर अतिक्रमण करने की टी.पी. रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की गई जिस पर इस न्यायालय में राजस्व प्रकरण दर्ज कर गैर सायलान के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये जिस पर गैर सायलान उपस्थित हुए और वकील श्री उम्मेदपुरी गोस्वामी द्वारा वकालतनामा/अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया। अभिभाषक दौरान बहस पुनः सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया जो कि सीमाज्ञान हेतु सूचित किया गया बावजूद सूचना के सीमाज्ञान नहीं करवाया गया ऐसी स्थिति में यह साफ प्रतीत होता है कि गैर सायलान का राजकीय भूमि गै.मु. सड़क पर अतिक्रमण है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने गैर सायलानके विरुद्ध दिनांक 18.02.2021 को विवादित भूमि से बेदखली व जुर्माना कायम करते हुए आदेश जैर अपील पारित कर दिया। जिस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांट्स की ओर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 पूर्णतया अवैध विधिविरुद्ध एवं बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किए बिना आदेश जैर अपील पारित किया है जो काबिल निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में भू-अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.08.2020 को विवादित भूमि की मौका जांच कर मौका रिपोर्ट पेश की गई किन्तु मौके पर किसी प्रकार का कोई नाप चोप नहीं किया गया, न ही उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया गया है कि कितनी भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि व कितनी भूमि अपीलांट्स द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। इस प्रकार उक्त मौका रिपोर्ट अपूर्ण मौका रिपोर्ट है। किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपूर्ण मौका रिपोर्ट को आधार मानकर जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट बेणीगोपाल की ओर से जबाब पेश किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकित किया गया है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 824 व 1367/825 अपीलांट की खातेदारी की भूमि है जिसके पूर्वी तरफ पुरानी पक्की दीवार करीब 70 वर्ष पूर्व से बनी हुई है। उस समय भी हल्का पटवारी से सीमाज्ञान करवाकर ही दीवार का निर्माण करवाया गया था। अपीलांट्स द्वारा किसी प्रकार का नया निर्माण वर्तमान में मौके पर नहीं किया गया है। चूंकि विवादित भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व मौके का उभय पक्षों की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाकर ही अंतिम निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को ही आधार मानकर जो आदेश जैर अपील पारित किया वह निरस्त किये जाने योग्य है।

विवादित खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है जिस भूमि को तहसीलदार मेड़ता ने वर्ष 1978 में गलत रूप 0.04 हैक्टर भूमि बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिए गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिया। जिसका तहसीलदार को किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नहीं था क्योंकि खातेदार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये उसकी खातेदारी की भूमि किसी अन्य को नहीं दी जा सकती, ऐसी स्थिति में यह विस्तृत जांच का विषय था कि जिस भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण बताया जा रहा है वह वास्तव में सड़क का भाग है अथवा नहीं इस संबंध में मौके पर नाप करवाया जाना आवश्यक था ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके किन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने बिना नाप चोप करवाये जो आदेश जैर अपील पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अलग-अलग अतिक्रमियों के विरुद्ध विधि अनुसार संयुक्त कार्यवाही नहीं की जा सकती, इस कारण भी आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबडी द्वारा प्रकरण संख्या 26/2020 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलांट्स की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रियांबडी तथा भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रियांबडी के समक्ष दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम रियांबडी विवादित गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर नाजायज कब्जा करना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय में



कलक्टर, नागौर

अपीलांत के लंबित की उम्मेद पूरी ज्ञात जबाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर मिला, जो अवसर दिया गया। इसके अलावा वकील श्री उम्मेद पूरी ज्ञात जबाब प्रस्तुत किया एवं सीमाज्ञान का निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु के निर्देश दिये गये परन्तु अपीलान्त की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही उचित अपीलान्त अथवा अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय से उल्लेखित हुए जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तस् के विरुद्ध विधिवत एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय और अपील पारित किया गया, जो उचित है।

खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि अपीलान्त की पुस्तैनी खातेदारी की भूमि को तहसीलदार मेड़ता जय वर्ष 1978 में मालत रूप से 0.04 हैक्टर भूमि गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिये जाने को लेकर वकील अधिनस्थ अपीलान्त का कथन है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के यदि अपीलान्त की खातेदारी भूमि को मालत रूप से गैर मुमकिन दर्ज कर दी है तो उक्त संबंध में त्रिक हेतु पृथक कार्यवाही है। धारा 91 आर.एल. आर.एल. की अन्वये में ऐसे तथ्य पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में विद्यमान न्यायालय रिकार्ड के अनुसार गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है। अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील पुस्तैनी सारहीन, तथ्यहीन होने से खारिज दिये जाने योग्य होने का कथन करते हुए तहसीलदार ने अपील अपीलान्त खारिज करने का निर्णय किया है।

सुनवाई की शुरुआत में कथन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया। प्रकरण में मालती लका रिधांबडी तथा न्यायालय त्रिक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रिधांबडी के लक्ष्य दिनांक 02.02.2020 को प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्त द्वारा ग्राम रिधांबडी के खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क की भूमि पर दुकान व दिवार बनाकर कब्जा करना सम्भव है। अपीलान्त की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में वकील श्री उम्मेद पूरी द्वारा जबाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर मांगे जाने पर अपीलान्त की ओर से जबाब पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात वकील श्री उम्मेद पूरी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर सीमाज्ञान का निवेदन किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु के निर्देश दिये गये परन्तु अपीलान्त की ओर से सीमाज्ञान का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और न ही आगामी तारीख में वकील अपीलान्त अथवा अपीलान्त अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध विधिवत एकतरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय और अपील पारित किया गया, जो उचित है।

जहां तक खसरा नम्बर 824 रकबा 0.04 हैक्टर भूमि अपीलान्त की पुस्तैनी खातेदारी की भूमि होने एवं जिस भूमि को तहसीलदार मेड़ता ने वर्ष 1978 में मालत रूप 0.04 हैक्टर भूमि बिना अपीलान्त की सुनवाई का अवसर दिए गैर मुमकिन सड़क दर्ज कर दिये जाने को लेकर वकील अपीलान्त का कथन है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार द्वारा बिना अधिकार के यदि अपीलान्त की खातेदारी भूमि को मालत रूप से गैर मुमकिन दर्ज कर दी है, तो उक्त संबंध में त्रिक हेतु पृथक कार्यवाही है। धारा 91 आर.एल.आर.एल. की अपील में ऐसे तथ्य पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग व उपभोग की भूमि है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अपील विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्तस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलान्त निर्णय यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनकी मूल पत्रावली लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।
 निर्णय सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
 (डॉ० जितेन्द्र कुमार सोनी)
 जिला कलेक्टर, नागौर
 कलेक्टर, नागौर